

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5074] No. 5074] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSHA 5, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6314 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, ''पंद्रह वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''सत्रह वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए'' शब्द रखे जाएंगे।

> [फा. सं. जेड-20018/1/99-सीपीए] रवि शंकर प्रसाद, संयक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, में सं. का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात तारीख 14 जनवरी, 2005 के का.आ. 56(अ), तारीख 19 फरवरी, 2007 के का.आ. 253(अ), तारीख 24 जून, 2008 के का.आ. 1539(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2009 के का.आ. 3303(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2011 के का.आ. 2866(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2013 के का.आ. 3822(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2015 के का.आ. 3553(अ) और तारीख 4 जनवरी, 2017 के का.आ. 36(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

7565 GI/2018 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely:-

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of fifteen years and eight months" the words "for a period of seventeen years and eight months" shall be substituted.

[F. No. Z-20018/1/99-CPA]

RAVI SHANKAR PRASAD, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 56(E), dated the 14th January, 2005, S.O. 253(E), dated the 19th February, 2007, S.O. 1539(E), dated the 24th June, 2008, S.O. 3303(E), dated the 29th December, 2009, S.O. 2866(E), dated the 27th December, 2011, S.O. 3822(E), dated the 27th December, 2013, S.O. 3553(E), dated the 30th December, 2015 and S.O. 36 (E), dated the 4th January, 2017.